

दिनांक 21.10.16 को सहायक खनन पदाधिकारी, लोहरदगा की अध्यक्षता में पट्टेधारियों के साथ जिला खनन कार्यालय में आहूत बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :-** पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपस्थित पट्टेधारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. **D.G.P.S सर्वे :-** लोहरदगा जिले में 16 बॉक्साइट खनन पट्टा क्षेत्र में से 09 खनन पट्टों का D.G.P.S किये जाने संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसे निदेशालय भेज दिया गया है। 09 खनन पट्टेधारी सर्वश्री हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0 एवं सर्वश्री मिनरल्स एण्ड मिनरल्स लि0 द्वारा धारित है जिनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित है। शेष पट्टेधारी अनुपस्थित है।

सहायक निदेशक भूतत्व द्वारा बताया गया कि D.G.P.S सर्वे किये जा चुके खनन पट्टे का सत्यापन किये जाने हेतु 3 प्रति में विस्तृत प्रतिवेदन पट्टेधारी द्वारा दाखिल किया जाय।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पट्टेधारी द्वारा 9 खनन पट्टे के D.G.P.S सर्वे का 3 (तीन) प्रति विस्तृत प्रतिवेदन (i) जिला खनन कार्यालय, लोहरदगा (ii) सहायक निदेशक, भूतत्व, रांची (iii) सत्यापन कर पट्टेधारी को वापस करने हेतु 27.10.2016 तक पट्टेधारी द्वारा दाखिल कर दिया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि बॉक्साइट पट्टेधारियों के साथ पुनः दिनांक 27.10.2016 को 11.00 बजे से बैठक की जायेगी।

2. **JIMMS :-** मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि JIMMS का सर्वर स्लो रहने या नेटवर्क समस्या के कारण चालान जेनरेट नहीं हो पाता है जिससे खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन चालको/मालिक एवं प्रबंधन के बीच वाद-विवाद एवं प्रेषण प्रभावित होता है। लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा भी चालान Generate करने में दिक्कत का उल्लेख किया गया।

सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इस प्रकार की शिकायत लिखित रूप से दें ताकि उसे JIMMS के स्थानीय PIU के माध्यम से समाधान हेतु अग्रसारित किया जा सकें।

3. **स्थानीय मुद्दे :-** (i) लघु खनिज पट्टेधारियों द्वारा बताया गया कि लोहरदगा जिले में पट्टेधारियों से विगत कई वर्षों से Cess (उप-कर) की वसूली की जा रही है जिसके लिए कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आपत्ति की गई है किन्तु समाधान नहीं किया जा सका है।

सहायक खनन पदाधिकारी ने बताया कि Cess (उप-कर) लगाये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निदेशानुसार कार्यवाई की जायेगी। पट्टेधारियों को अपने पट्टा क्षेत्र से संबंधित विवरणी लिखित रूप से देने का निदेश दिया गया।


(ii) लघु खनिज पट्टेधारियों द्वारा बताया गया कि C.O, D.F.O एवं ग्राम सभा का रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। अतः रिपोर्ट देने की समय-सीमा निर्धारित की जाय।

सहायक खनन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रतिवेदन देने की समय सीमा नियमतः निर्धारित नहीं है। इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों एवं विभागीय समीक्षा के समय रखा जायेगा।

4. **स्वच्छ भारत मिशन :-** पट्टेधारियों को स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देते हुए इस अभियान में शामिल होकर सफल बनाने का निदेश दिया गया एवं एक लिखित वचन भी लिया गया।


अगली बैठक दिनांक 29.11.2016 को 11.00 बजे से निर्धारित की गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाई समाप्त की गई।

  
सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।

ज्ञापांक...../एम0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :- हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0/मिनरल्स एण्ड मिनरल्स लि0 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।



ज्ञापांक...../एम0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :- उप निदेशक खान, दक्षिणी छोटानागपुर अंचल, रांची/सहायक निदेशक, भूतत्व, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ई=

सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।

ज्ञापांक...../एम0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

ई=

सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।

ज्ञापांक...../एम0 दिनांक.....

प्रतिलिपि :- निदेशक खान/ निदेशक, भूतत्व, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ई=

सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।

ज्ञापांक...674.../एम0 दिनांक...29.12.16

प्रतिलिपि :- सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ई=

सहायक खनन पदाधिकारी,  
लोहरदगा।